झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
अवमानना (दीवानी) वाद सं0–18 / 2019

1. कुलदीप सिंह, उम्र लगभग 61 वर्ष, पुत्र–स्वर्गीय सहदेव सिंह, निवासी ग्राम–बेरियाकला, डाकघर–चंदो, थाना–चैनपुर, जिला–पलामू, झारखण्ड।

2. राज कुमार सिंह, उम्र लगभग 59 वर्ष, पुत्र–श्री लालू सिंह, निवासी ग्राम–बाना, डाकघर–बाना, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा, झारखण्ड।

3. मिथु सिंह, उम्र लगभग 60 वर्ष, पुत्र–स्वर्गीय बनारस सिंह, निवासी ग्राम–पलामू, झारखण्ड।

4. लाल बहादुर सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, पुत्र–स्वर्गीय मजी सिंह, निवासी ग्राम–केचकी, डाकघर–सरायडीह (पोखरी), थाना–बरवाडीह, जिला–लातेहार, झारखण्ड।

5. रति भगत, उम्र लगभग 56 वर्ष, पुत्र–दीबा भगत, निवासी ग्राम–लोहारी, डाकघर–रोल, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार, झारखण्ड।

6. कैलाश सिंह, उम्र लगभग 57 वर्ष, पुत्र–जतु सिंह, निवासी ग्राम–सुआ, डाकघर–सुआ, थाना–डाल्टनगंज, जिला–पलामू, झारखण्ड।

7. कन्हाई सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, पुत्र–स्वर्गीय नागदेव सिंह, निवासी ग्राम–सिसरी, डाकघर–तोरलावा, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा, झारखण्ड।

8. परमेश्वर सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, पुत्र–कुवर सिंह, निवासी ग्राम–गेरूआ, डाकघर–देवगना, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा, झारखण्ड। .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. अराधना पटनायक, सचिव, झारखण्ड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखण्ड, वर्तमान में सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, परियोजना भवन, राँची, झारखण्ड, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची।

3. श्री अमित कुमार, उपायुक्त, पलामू, डाकघर, थाना एवं जिला–पलामू, झारखण्ड, वर्तमान में राज्य शहरी विकास एजेंसी, परियोजना भवन, रांची, झारखण्ड, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–राँची।

4. श्री अरबिंद कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, मेदनीनगर (डाल्टनगंज), डाकघर एवं थाना–मेदनीनगर, जिला–पलामू, झारखण्ड। .... विरोधी पक्ष

<u>कोरमः</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर

याचिकाकर्त्तागण की ओर से : श्री संतोष कुमार तिवारी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से : श्री अरबिन्द कुमार, एस0सी0– के ए0सी0।

05 / 13.09.2019 यह अवमानना मामला डब्लू0 पी0 (एस0) सं0–5447 / 2014 में पारित दिनांक 22.02.2017 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दायर किया गया।

इस आदेश द्वारा, विभाग द्वारा जारी पदक्रम सूची में याचिकाकर्त्ताओं की आपत्ति(ओं), यदि कोई हो, को तय करने के लिए विपरीत पक्षों को एक निर्देश जारी किया गया है तथा यदि वे पदोन्नति के लिए पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार मौद्रिक लाभ दिया जाएगा।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार तिवारी ने कहा कि रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन अवमानना करने वालों (कंटेम्नरस) द्वारा नहीं किया गया है।

इस अवमानना याचिका के पैरा सं0–10 में, याचिकाकर्त्ताओं ने कहा है कि दो व्यक्ति जो उनके समकक्ष और उनसे कनिष्ठ हैं, को विभाग द्वारा जारी संयुक्त ग्रेड सूची / पदक्रम सूची के आलोक में पदोन्नत किया गया है।

याचिकाकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत पूर्वोक्त तर्क एक अलग वादहेतु को जन्म देगा जिसके लिए उनके पास कानून में अलग उपाय हैं।

तद्नुसार, यह अवमानना मामला बंद किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)